संख्या-177/2019/2545/26-3-2019-06(विविध)/2018

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 24 जुलाई 2019

विषयः-अतिपिछडे अनुसूचित जाति समूह के लिए रोजगार सृजन प्रशिक्षण एवं अवस्थापना सुविधा, पेयजल, आवास निर्माण, सम्पर्क मार्ग निर्माण तथा सामुदायिक विकास केन्द्र के निर्माण आदि की व्यवस्था करते हुये उनके सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजना का दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4272/26-3-2007-10(15)/67, दिनांक-19.02.2008 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अतिपिछडे अनुसूचित जाति समूह के लिए रोजगार सृजन प्रशिक्षण एवं अवस्थापना सुविधा, पेयजल, आवास निर्माण, सम्पर्क मार्ग निर्माण तथा सामुदायिक विकास केन्द्र के निर्माण आदि की व्यवस्था करते हुये उनके सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि एकीकृत विकास योजनान्तर्गत उक्त दिशा-निर्देशों के साथ-साथ निम्न बिन्दुओं/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायः-

(I)-शासन के पत्र संख्या-1318/26-3-2016, दिनांक-29.07.2016 द्वारा जनपद-सन्तकबीरनगर, बस्ती एवं सिद्धार्थनगर के द्वितीय किश्त के प्रस्तावों के भौतिक सत्यापन हेतु मुख्यालय स्तर से गठित निम्नानुसार 03 सदस्यीय समिति की व्यवस्था सभी द्वितीय किश्त के प्रस्तावों हेतु अनिवार्य किया जाता है तथा चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी द्वितीय किश्त के सभी प्रस्तावों पर उक्त समिति की भौतिक सत्यापनोंपरान्त ही विचार किया जायेगाः-

(क)-उपनिदेशक, समाज कल्याण, सम्बन्धित मण्डल।

(ख)-उ0प्र0समाज कल्याण निर्माण निगम(यू0पी0सिडकों)के अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी।

(ग)-वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण द्वारा नामित वरिष्ठ लेखाधिकारी।

(II)-एकीकृत विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी के माध्यम से व्यय/कार्य कराया जायेगा तथा उपभोग प्रमाण पत्र पर जिलाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।

(III)-एकीकृत विकास योजनान्तर्गत एक जनपद से समेकित रूप से 05 अतिपिछडे अनुसूचित बाहुल्य ग्रामों के विकास कार्यो, जिसकी कुल अधिकतम लागत रू0-2.50 करोड़ तक की सीमा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

के अन्दर हो, के प्रस्ताव पर ही विचार किया जायेगा। उक्त सीमा से अधिक लागत के प्रस्ताव को स्वीकार नही किया जायेगा।

(IV)-प्रश्नगत योजनान्तर्गत जिस जनपद का एक प्रस्ताव सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हो चुका हो, उसी जनपद के दूसरे प्रस्ताव को उसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत/विचार नही किया जायेगा, बल्कि अगले वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत धनराशि की उपलब्धता होने पर ही विचार किया जायेगा।

(V)-योजनान्तर्गत नामित कार्यदायी संस्था को अपरिहार्य परिस्थितियों में ही बदला जायेगा तथा एक बार कार्यदायी संस्था बदल दिये जाने के पश्चात दूसरी बार कार्यदायी संस्था बदले जाने के प्रस्ताव पर विचार नही किया जायेगा।

अतएव अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-177/2019/2545/(1)/26-3-2019 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
2- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
3- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।